[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 1/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 11 दिसंबर, 2018

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) वह उपबंधीत करती है की इनपुट सेवा वितरक से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या 52 के अधीन कर संदत्त करने वाले व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 दिसम्बर को या उसके पहले ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए उन्नत प्रक्रम पर इलैक्ट्रानिक प्रणाली विकसित की जानी और 31 जनवरी, 2019 तक प्रचालित की जानी थी जिसके परिणामस्वरूप, उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी और इसके कारण उक्त धारा के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई है ;

अत: अब केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए वह घोषणा कि जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2019 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी"

[फा.स. 20/06/17/2018-जी.एस.टी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार